प्रश्न सं. [क्र. 1068]

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1068 के प्रश्नांश `ख` का परिशिष्ट `अ`

(कुल पृष्ठ संख्या 1)

प्रश्नकर्ता श्री मोंटू सोलंकी **सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.07.2026**

केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई रू.1500 प्रोत्साहन राशि का एरियर, 29 जुलाई 2023 को घोषित रू. 1000 वार्षिक वृद्धि, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान, भुगतान स्लिप उपलब्ध कराने तथा आशा कल्याण कोष के अंतर्गत शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि के भुगतान की बिंदुवार जानकारी

- वर्ष 2025 में प्रोत्साहन राशि में 1500 रु. की वृद्धि संबंधी कोई आदेश नहीं है। अतः एरियर सहित भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
- 29 जुलाई 2023 में घोषित रू. 1000 की वार्षिक वृद्धि संबंधी आदेश प्राप्त नहीं है। मंत्रीमंडल में लिये गये निर्णय के अनुसार रूटीन प्रोत्साहन राशि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ोत्तरी की कार्यवाही की जाती है।
- आशाओं को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान किये जाने के निर्देश पत्र क्रमांक/आशा/ एनएचएम/2024/4317 भोपाल दिनांक 26.07.2024 को प्रदान किये गये है।
- आशाओं को एकमुश्त प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है एवं आशा पोर्टल पर उनके वाउचर डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध है।
- आशा कल्याणकारी योजना के अंतर्गत शिक्षा हेतु प्रोत्साहन - बड़वानी जिले में आशा कार्यकर्ताओं के कोई आवेदन प्राप्त न होने से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(डॉ. राकेश बोहरे)
वरिष्ठ संयुक्त संचालक
आशा कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1068 के प्रश्नांश `ग´ का परिशिष्ट `ब´

(कुल पृष्ठ संख्या 1)

प्रश्नकर्ता श्री मोंटू सोलंकी **सदन में उत्तर देने का दिनांक 22.07.2026**

आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं को दुर्घटना में घायल होने पर रू.1 लाख एवं मृत्यु की स्थिति में रू.10 लाख सहायता राशि, ड्रेस कोड, एंड्रॉयड मोबाइल एवं डाटा सुविधा, आशा रेस्ट रूम तथा आशा दिवस/आशा सम्मेलन की बिंदुवार जानकारी

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं को दुर्घटना में घायल होने पर रू.1 लाख की राशि प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत तथा रू. 2 लाख मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने का प्रावधान है, साथ ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत रू. 5 लाख तक की आशा एवं उनके परिजनों को चिन्हित चिकित्सालय में एक वित्तीय वर्ष में उपचार की पात्रता है। मृत्यु की स्थिति में रू. 10 लाख सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- आशाओं को ड्रेसकोड बनाया गया है और यूनिफॉर्म क्रय करने हेतु प्रतिवर्ष रू. 500 प्रदान किया जाता है।
- एंड्रायड मोबाईल एवं डाटा सुविधा दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सेंधवा विकासखंड में 258 आशाओं को सीयूजी सिम प्रदान की गयी है।
- बड़वानी जिला चिकित्सालय में आशा रेस्ट रूम बनाया गया है।
- 'आशा दिवस/सम्मलेन' प्रति त्रैमास विकासखंड स्तर पर तथा 'आशा बैठक' प्रतिमाह सेक्टर स्तर किया जाता है।

(डॉ. राकेश बोहरे)
वरिष्ठ संयुक्त संचालक
आशा कार्यक्रम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश